छत्तीसगढ सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक 268/स.सा.प्र.वि./2020/ अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 22/05/2020

आदेश

अन्य राज्यों से धरेलू उड़ानों एवं सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ आ रहे यात्रियों
द्वारा निर्दिष्ट से SOP का पालन किया जाना है—

1. अन्य राज्यों से छत्तीसगढ लौटने द्वारा इतवाक होगी, को संबंधित राज्य से प्रशासन के पूर्व
उत्कृष्ट विकल्प के पोर्टल http://cpass.cgcovid19.in/ पर पंजीकृत करना होगा।
2. जिला कलेक्टर उपरोक्त सूचना के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड द्वारा
नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जो कि मांग कोरोना/कारांसिया कारेंटिन सेंटर/पेड
कारांसिया के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराएगें।

एआरसीए पर यात्रा:

3. समुदाय सुत्रित कॉलर द्वारा एआरसीए अधिकारियों के साथ समावेश
स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद एआरसीए, रायपुर में सम्मिलित संघर्ष में सुकिया केंद्र
स्थापित करेंगे। इन सुविधा केंद्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे
जो स्वास्थ्य एवं परिवार कोरोना विभाग द्वारा संचालित किये जाएंगे।
4. स्वामी विवेकानंद एआरसीए रायपुर में लैंडिंग के प्रति वायरल फैलाव के निगरानी रूप से
बाहर निकलते (एक बैच में 20 वातान) और हेल्थ बैगेज के साथ सुविधा केंद्र पहुंचने जहां
आवश्यक सूचना देकर करने पर सभी उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्वास्थ्य जांच की
जाएगी।
5. लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एआरसीए पर यात्रा से देखा
किये गये आईसोलेशन क्षेत्र के भीतर रोडो नहीं रहने के लिए, उनका संपत्त तेजकर
उन द्वारा निर्दिष्ट से अवश्य आईसोलेशन केंद्र में भेज दिया जाएगा। ऐसे यात्रियों का केंद्र—अगर
वेल्स से संबंधित कर उनकी के पूर्वारंभ या अंडरकॉटेशन शायद तक पहुँचने का
उत्तमाधिकृत संसाधन प्राकीर्तिक का उपाधि स्तंभ का उपाधि का
होगा।
6. लक्षण निर्दिष्ट यात्रियों को शासनीय कारेंटिन केंद्र/होम कारेंटिन/स्वास्थ्य आधार पर पेड
कारांसिया केंद्र में भेज जाएगा। सभी यात्रियों से लिखा में यह अंदाजेंगिंग जाना कराई
जारी कराई जायेगा जो वे 14 दिन तक कारेंटिन के सभी नियमों का कदाचार से पालन
करेंगे।
7. सभी यात्रियों के हेल्थबैगेज/स्वेटक बैगेज पर निमंडा कार्य होने की कृपया
फिर से निर्देश जायेगा।

रेलवे रेस्टेशन पर यात्रा:

8. जिला प्रशासन द्वारा रेलवे द्वारा अधिकारियों एवं रेलवे पुलिस कोर्स/छत्तीसगढ पुलिस के
साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे सभी रेलवे रेस्टेशन, जहाँ 1 जून से ट्रेन टिकटों, में
सम्मिलित रात्रि में सुविधा केंद्र स्थापित किये जायेगे। इन सुविधा केंद्रों में आवश्यक
स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कार्यालय द्वारा
संचालित किये जाएंगे।

कृपया पत्र नहीं करें।
9. ट्रेन आने के पश्चात पारी जेटिल करने एवं प्रवास पर नियंत्रण रूप से बाहर निकालने (एक बैच में 2 बोगी के बाद) और अपने सामान जैसे सुविधा केंद्र पहुँच कर उनकी दर्शन स्तरीकरण सहीत सराखी जाने की जाएगी।

10. त्योत्र से शाय पाए गए यात्रियों को अलग कर एक्सपॉर्ट पर पुरुष से स्थापित किये गये आइकोनोलैसन कीहको में भेजा जाएगा जहाँ उनका रूल हक लेकर उन्हें लिंग प्रणाली द्वारा स्थापित आइकोनोलैसन केंद्र में भेज दिया जायेगा।

11. विदेश से आये यात्रियों हेतु पेड क्वार्टनीन की व्यवस्था होगी।

12. त्योत्रस्थित यात्रियों को भारतीय क्वार्टनीन केंद्र/होम क्वार्टनीन/नाइट्रिक नामपर पेड क्वार्टनीन केंद्र में भेजा जाएगा। सभी यात्रियों से प्रिंटिकल में यह अंडरटेकिंग जरूरी कार्रवाई की जाएगी कि वे 14 दिन तक क्वार्टनीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे।

13. सभी यात्रियों के सामान पर नगर निगम/रेलवे द्वारा बाँटकर नुकसानलक्षित घोटाल का छिड़काव किया जायेगा।

एक्सपोर्ट पर परिवहन व्यवस्था:

14. यात्रियों के बौद्धिक पास तथा वाहन चालक के ई-पास के आधार पर ही उन्हें एक्सपोर्ट परिवहन में आयोगन की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक एवं यात्री की समस्त जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, गांतों इत्यादि) की जानकारी परिवहन विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। एक्सपोर्ट पर विशिष्ट वाहन/ट्रेक को अनुमति दी गई।

रेलवे स्टेशन पर परिवहन व्यवस्था:

रेलवे स्टेशन से यात्रा के माध्यम से गांतों स्थान तक जाने वाले यात्रियों से प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक एवं यात्री की समस्त जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, गांतों इत्यादि) की जानकारी सुविधा केंद्र पर जाने कराई जायेगी। रेलवे स्टेशन पर विशिष्ट वाहन/ट्रेक वस का अनुमति दी गई।

क्वार्टनीन केंद्र की मॉनिटरिंग:

15. समस्त क्वार्टनीन केंद्रों की सत्ता निगरानी एवं तुरंत हेतु समस्त व्यवस्था संचालित जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

16. होम क्वार्टनीन हेतु संचालित प्रामंत या शहरी वाहन के नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस से समाचार कर संचालित यात्री के घर के बाहर तक काल प्रायोग से प्रतिक कर सपा किया जाएगा। यात्रियों को सभी घर में नोडल की प्रभावीता व्यवस्था नहीं हो पाने की सिफारिश में शास्त्रीय क्वार्टनीन केंद्र या इस्तेमाल से पेड क्वार्टनीन केंद्र में रखा जायेगा।

17. संचालित प्रामंत या शहरी वाहन के नोडल अधिकारी द्वारा होम क्वार्टनीन में यह स्थान यात्रियों की सत्ता निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि यात्री 14 दिन तक क्वार्टनीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे।

18. यदि होम क्वार्टनीन में रहे यात्रियों में स्थानीय को लक्ष्य उत्पन्न हो जाते हैं तो त्योत्र सुनाना संचालित प्रामंत या शहरी वाहन के नोडल अधिकारी द्वारा 104 फैक्सलाइन नंबर पर दी जाएगी। विभिन्नक्षेत्र प्रमाण के अनुसार आवश्यकता होने पर उस यात्री को तकालिन जिले के आईकोनोलैसन केंद्र में राखा जाएगा।
19. क्यारेंटीन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की सिपाहित में उसकी सूची संवधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोटिस अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक को तत्काल दी जाएगी ताकि संवधित व्यक्ति के खिलाफ नियमनानुसार संकट से सच्च रूप से कार्रवाही की जा सके।

(लो. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पुष्पकंक: 268-A / स.सा.प्र.वि./2020
अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 22/05/2020

प्रतिलिपि:—
1. यूड सचिव, भारत सरकार,
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जोरो पाईठ रायपुर,
5. विशेष चःधायक/निजी सहायक, समस्त मान. मंत्री गण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. राजिस्तान जनरल, छत्तीसगढ़ जनरल विभागत, विलासपुर,
8. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
9. समस्त विभागाध्यक्ष,
10. गंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, विलासपुर,
11. समस्त संभागीय विभागत/ पुलिस गणनीशार्क,
12. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक,
13. निदेशक, स्थानीय विभागाध्यक्ष एजस्पोर्ट, रायपुर,
14. समस्त नगर नियम आयुक्त/मुख्य नगर नियमाधीन अधिकारी,
15. समस्त शीर्षों, जिला पंचायत,
16. संताल, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रायती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेशित।
विवेच से नीट रहे छत्तीसगढ़ के निरामिष्ठ जो घरेलू उद्यान/तड़क गार्ड से राज्य में पहुंच रहे हैं के द्वारा नियमानुसार SOP का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:—

1. विवेच से छत्तीसगढ़ लौटने के घटनाक्रमों को संभालें देश से प्रवास के पूर्व सदर को राज्य के पोर्टल http://epass.cgccovid19.in/ पर पंजीकृत करना होगा।

2. राज्य नोटल अधिकारी के माध्यम से परस्पराधिक इंसाद से समन्वय स्थापित कर संविधेय यात्रियों का अवलोकन संरक्षित रखिए जाकर उन्हें जानकारी को अवलोकन पूरक कर संबंधीत नियम के आधार पर संकेत करें।

3. राज्य से बाहर आते देशी यात्री (जैसे—पुरुष, एवं आदि) पर राज्य हेतु उड़ान सुनिश्चित नहीं होने का संबंध न रखें साथ में स्वयं द्वारा राज्य पर उड़ान लगाने हेतु परिवहन व्यवस्था हेतु राज्य संबंधीत अधिकारी यात्री की सहायता पर रखिए। वाहन हेतु ई-पास या यात्री की अनुमोदन से मिलानुसार जाना किया जायेगा।

4. भारत से उत्तराधिकारी राज्य रूप में पहुँचने के उपरांत यात्री द्वारा 14 दिनों का वातावरण रखना अनिवार्य होगा।

एडाप्टर पर व्यवस्था:

5. रायपुर नगर निम्न कार्यालय द्वारा एडाप्टर अर्थव्यव्स्था एवं रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सारी विशेषज्ञों एडाप्टर, रायपुर में सुनिश्चित संख्या में बुधवार के दिन स्थापित करें। इन सुविधा कंडोज्यों में आवासीय स्थान परिसर हेतु हैदर देस्क भी रखेंगे जो सरकारी एवं परिसर का प्रतीक नियम द्वारा संबंधित किये जायेंगे।

6. स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर राज्य में व्यवस्था के परिपत्र यात्री प्रतिक्रिया से निर्देशित स्थल द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था में बाहर निकलने लायक एवं हैदर बैंक के साथ सुनिश्चित किए गए पहले अन्तर्गत उनके साथ सबसे अच्छी आवासीय स्थान परिसर प्रस्तुत द्वारा सुनिश्चित किए अनुसार तैयार किया जायेगा जिससे पश्चात उनकी अपघात संबंधित स्वास्थ्य संबंधित जानकारी की जायेगी।

7. राज्य के साथ पाए गए पत्र सम्बंधित कर साथ एडाप्टर पर पुनर्निर्देश अनुमोदन को पूरा कर स्वास्थ्य शास्त्रीय अनुमोदन कार्यालय में भेज दिया जायेगा। इसमें यात्रियों को निर्देशित करेंगे अनुमोदन कार्यालय के प्राथमिक गृह द्वारा सुनिश्चित करणे हेतु आवासीय स्थान परिसर हेतु हैदर बैंक द्वारा संबंधित कर उनकी एफएसएवा डिप्लोम्स वाहन तक पहुँचने का पुनर्चुक्त स्वास्थ्य यात्री की जाएगा।

8. सभी सार्वजनिक कार्यालयों के स्पोट्सर्क /सेक्टर के पर निम्न द्वारा कोटापुरनिशान गोल का निर्देशन किया जायेगा।

9. लक्षण रहित यात्रियों को रायपुर नगर निम्न कार्यालय हेतु निर्देशित द्वारा वारंट रेस्त्र में ही खाना होगा। द्वारा स्वतन्त्र यात्री विभाग में यह अंदर चेकिंग करेंगे की 14 दिन तक राज्य के साथ समन्वय में कंडोज्यों का क्रमांक द्वारा पालन करेंगे तथा इस संबंध में रखें और आदेश का अनुसार यात्री स्वास्थ्य का बनाने करेंगे। 14 दिन की अवधि के पश्चात कोडिंग−19 संदर्भ परिपत्र निर्देशित आने के बाद ही उन्हें एडाप्टर रेस्त्र में पूरा किया जायेगा।

लोक
परिवहन व्यवस्था:

10. यात्रियों के वोर्डिंग पास तथा यात्रा चालक से ई-पास के आधार पर ही उन्हें एयरपोर्ट परिसर में आवासन की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री यात्रा का विश्वास, चालक एवं यात्री की समस्याओं जानकारी (ग्राम, काटा, गोवाल नंबर, यात्रा नंबर इत्यादि) की जानकारी परिवहन विभाग द्वारा संभाली जाएगी। एयरपोर्ट पर विहित टैक्सी/मिल्टी यात्रा को ई-पास अनुमति ही जारी करेगी।

सड़क गार्ड से आश्चर्य व्यक्तियों हेतु

11. भारत की सीमावर्ती देशों (वेलाल, मूर्ताक इत्यादि) से सड़क गार्ड से आश्चर्य व्यक्तियों के छतरीसागर में प्रवेश से पूरी सफलता सीमावर्ती शाखा (उत्तर पदरा, विहार इत्यादि) से उपर नियुक्त श्री राम नोडल अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा। यात्रा एवं यात्रियों हेतु ई-पास को अनुमति देने की होगी। आवासीय आयुक्त, छतरीसागर एवं परिवहन आयुक्त द्वारा सङ्केत यात्रियों के आवासीय तथा परिवहन व्यवस्था हेतु सचिव नोडल अधिकारी को आवर्तन सहयोग प्रदान किया जाएगा जिसका यथायथ उक्त यात्रियों द्वारा संचालन किया जाएगा।

12. न्यून संबंध वे इस्तेमाल के लिए अनुमति दी गई है। इस संबंध में उसके लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा केंद्र में उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी।

क्वारेंटाइन केंद्र की मान्यता दिलाना

13. एयर क्वारेंटाइन केंद्र की सतत तितली एवं सुरक्षा हेतु समस्त व्यवस्था रामपुर जिला प्रशासन द्वारा चक्कर जानकारी दी गई होगी।
14. एयर क्वारेंटाइन केंद्र के समय स्क्वाय रेस्ट्रैंड, बागो मेंडिकल डेस्ट प्रतिबंध इलाज देते संस्थानें द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
15. यदि दो ऐसे क्वारेंटाइन में रहने वाले यात्री को लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो तत्कालीन सरकारी सुरक्षा मिलिसिया एवं स्वास्थ्य भवन नोडल अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा।
16. वायुसेवा क्वारेंटाइन विभाग से मौजूदा हेतु यात्री को ठीक तथा सही सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

एयर अप्सरा प्रशासन विभाग के आदेश कार्रवाई 238/स.प्र.वि./2020 डायरेक्ट 09. 05.2020 के माध्यम से श्री अशोक डेव गोलन, सचिव, शहीद बिष्ट, छतरीसागर शासन का निर्देश नगरकृत मुख्य राज्य नागरिक उद्योग मंत्री, राज्य सरकार से सभी आवेदक समन्वय करेंगे तथा जिला कार्यालय एवं विभिन्न विभागों की आवासीय प्रवेश करेंगे। राज्य से बाहर समन्वय हेतु आवासीय आयुक्त इलाज की आवश्यक सहयोग करेंगे।

(डी. कपलमीत सिंह)
सचिव
छतरीसागर शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
पूर्वकारक: 269–A /स.स.प्र.वि./202 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 22/05/2020

प्रतिष्ठिति:—

1. गृह सचिव, भारत सरकार,
2. राज्यपाल के सचिव, राजस्वलय, रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानगरी भवन, नवा रायपुर,
   अटल नगर,
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जी.पी.पी. रायपुर,
5. विशेष तहसील/निज सहायक, समस्त गृह. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानगरी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानगरी भवन, नवा रायपुर,
   अटल नगर,
7. संयुक्त सचिव एवं नोडल अधिकारी, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार,
8. राजस्व जनरल, छत्रीगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानगरी भवन, नवा रायपुर,
   अटल नगर,
10. समस्त विभागाध्यक्ष,
11. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
12. समस्त संयुक्त/ पुलिस महानिदेशक,
13. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक,
14. निदेशक, स्थानीय विवेकानंद एवीएमएफ, रायपुर,
15. समस्त नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
16. समस्त सौंदर्यो, जिला पंचायत,
17. संचालक, जनसंस्था संचालनालय, इंडियानी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
   को ओर सूचनार्थ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु अनुरोधित।

लेखक
छत्रीगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग